कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 123/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 29.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट

थाना- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़

- **फैक्ट्री में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चिमनी के धुएं के विवाद में 10-15 लोगों संग किया था हमला, कई लोग घायल**
- **पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई, मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय**

आजमगढ़ । दिनांक 20.03.2026 को कस्बा फूलपुर स्थित बर्तन बनाने की फैक्ट्री में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट एवं तोड़फोड़ करने के मामले में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वादी कैलाश नाथ रुंगटा पुत्र स्व० कुन्जीलाल रुंगटा निवासी शनिचर बाजार, फूलपुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 20 मार्च 2026 की सायं लगभग 07 बजे नामजद अभियुक्तगण अपने 10-15 साथियों के साथ लाठी-डंडा व लोहे की रॉड से लैस होकर फैक्ट्री में घुस आए तथा चिमनी के धुएं को लेकर विवाद करते हुए वादी व उसके कर्मचारियों के साथ मारपीट की और फैक्ट्री व खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर कई लोगों को घायल कर दिया।

उक्त सूचना के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 103/2026 धारा 115(2), 351(3), 333, 324(4), 352, 191(2), 109 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.03.2026 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द व उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मनोज यादव (उम्र लगभग 50 वर्ष) व अमन यादव (उम्र लगभग 21 वर्ष) निवासीगण कस्बा फूलपुर को उनके घर के बाहर से समय 12:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

सम्बन्धित मुकदमा

मु0अ0सं0 103/2026 धारा 115(2)/351(3)/333/324(4)/352/191(2)/109 बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मनोज यादव पुत्र श्यामदवर उम्र करीब 50 वर्ष
2. अमन यादव पुत्र मनोज यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासीगण कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी हे0का0 दीपक पाण्डेय का0 वीरेन्द्र कुमार यादव का0 नीरज कुमार यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना- दीदारगंज, जनपद- आजमगढ़

• नाबालिग के अपहरण व पॉक्सो एक्ट मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
• परीक्षा देने निकली किशोरी के गायब होने पर दर्ज हुआ था मुकदमा, गंभीर धाराओं में हुई बढ़ोत्तरी
• पुलिस की सक्रियता से सुघरपुर तिराहे से अभियुक्त गिरफ्तार, भेजा गया न्यायालय

आजमगढ़ । दिनांक 18.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री दिनांक 18 मार्च 2026 को प्रातः लगभग 09:00 बजे परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंची तथा वापस घर भी नहीं लौटी। इस संबंध में थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 51/2026 धारा 87 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपक कुमार उर्फ बादल पुत्र हरिराम निवासी ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, जिसके आधार पर मुकदमे में धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। उक्त अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश एवं उ0नि0 करमुल्ला अली मय पुलिस टीम सुघरपुर तिराहे क्षेत्र में मौजूद थे, तभी मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि संबंधित मुकदमे का अभियुक्त सुघरपुर तिराहे पर मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम जय कुमार गौतम पुत्र दलसिंगार निवासी ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज बताया तथा अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 08:30 बजे हिरासत में लिया गया।

सम्बन्धित मुकदमा

मु0अ0सं0 51/2026 धारा 87, 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

दीपक कुमार उर्फ बादल पुत्र हरिराम निवासी ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश
2. उ0नि0 करमुल्ला अली
3. हे0का0 अनिल कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना- बरदह, जनपद- आजमगढ़

• नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
• पूर्व में अपहृता की सकुशल बरामदगी, मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोचा

दिनांक 10.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना बरदह पर लिखित सूचना दी गई कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री को सुनील गौतम पुत्र राजकुमार गौतम निवासी ग्राम जिवली, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 01.03.2026 की रात्रि लगभग 10:00 बजे बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। वादिनी के अनुसार अभियुक्त विगत एक वर्ष से उनकी पुत्री का पीछा कर रहा था तथा उसके परिजनों से पूछताछ करने पर भी कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 79/2026 धारा 87, 137(2), 61(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 13.03.2026 को अपहृता की सकुशल बरामदगी कर ली गई थी। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.03.2026 को उ0नि0 विनोद प्रताप मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सुनील गौतम को जिवली तिराहे से समय लगभग 10:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

सुनील कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष

सम्बन्धित मुकदमा

मु0अ0सं0 79/2026 धारा 87, 137(2), 61(2) बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 161/2023 धारा 323, 325, 427, 504, 506 भादवि थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 79/2026 धारा 87, 137(2), 61(2) बीएनएस थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 विनोद प्रताप
2. का0 त्रिलोकनाथ पाण्डेय, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना- जहानागंज, जनपद- आजमगढ़

• नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
• मोबाइल नम्बर के जरिए हुई पहचान, पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा
• पुलिस टीम ने अकबेलपुर तिराहे से अभियुक्त को दबोचा, न्यायालय भेजा गया

दिनांक 18.01.2026 को वादिनी द्वारा थाना जहानागंज पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी लगभग 13 वर्षीय पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नम्बर 9151368206 के माध्यम से बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 17/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्त विशाल पुत्र देशराज निवासी नई बस्ती महरूपुर रावी अमनाबाद थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.03.2026 को उ0नि0 अजय निषाद मय पुलिस टीम क्षेत्र में तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे। सूचना प्राप्त हुई कि संबंधित मुकदमे का अभियुक्त अकबेलपुर तिराहे के पास मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर अभियुक्त विशाल पुत्र देशराज (उम्र करीब 20 वर्ष) को समय लगभग 11:35 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 17/2026 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

विशाल पुत्र देशराज निवासी नई बस्ती महरूपुर रावी अमनाबाद थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अजय निषाद
2. का0 अजय गौड़, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना- सरायमीर, जनपद- आजमगढ़

• अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा, 03 अभियुक्त गिरफ्तार
• 06 हुक्का, फ्लेवर तंबाकू व अन्य सामग्री बरामद, बिना अनुमति चल रहा था संचालन
• रायल रेस्टोरेंट के ऊपरी तल पर चल रहा था हुक्का बार, नियमों की खुली अवहेलना

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे हुक्का बार विरोधी अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। उ0नि0 विद्याकान्त सिंह मय पुलिस टीम कस्बा सरायमीर क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि खरेवा मोड़ से दीदारगंज रोड पर स्थित रायल रेस्टोरेंट के द्वितीय एवं तृतीय तल पर अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग बैठकर हुक्का पी रहे हैं।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां प्रथम तल पर रेस्टोरेंट बंद मिला तथा द्वितीय तल पर एक कमरे में 03 मेजों पर 06 हुक्के लगे हुए पाए गए। कमरे में कई युवक बैठकर हुक्का पी रहे थे, जिससे चारों ओर धुआं एवं दुर्गंध फैली हुई थी। पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद लोग भागने लगे, जिसमें से 03 व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त आदित्य राय उर्फ अवनीश पुत्र अनिल राय निवासी गांगेपुर थाना बिलरियागंज ने बताया कि वह अपने साथी अशरफ के साथ मिलकर रायल रेस्टोरेंट के द्वितीय व तृतीय तल को किराये पर लेकर हुक्का बार का संचालन कर रहा था, जबकि अन्य दोनों अभियुक्त वेटर के रूप में कार्य कर रहे थे।

तलाशी के दौरान मौके से 06 अदद हुक्का, 05 अदद पाइप, 06 अदद चिलम, 615 ग्राम फ्लेवर युक्त तंबाकू (विदेशी ब्रांड), 03 पैकेट कोयला व अन्य सामग्री बरामद की गई। अभियुक्त आदित्य राय के पास से 480 रुपये नगद भी बरामद हुए। हुक्का बार संचालन से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर यह पाया गया कि बिना अनुमति के अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, जो धारा 223/271/272 बीएनएस व 4/21 सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को समय रात्रि 12:25 बजे हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण
1. आदित्य राय उर्फ अवनीश पुत्र अनिल राय निवासी गांगेपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. अशरफ पुत्र अरशद निवासी माहूल थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
3. मो0 शबाब पुत्र अमजद अली निवासी पुराना पवई रोड कस्बा माहूल थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 85/2026 धारा 223/271/272 बीएनएस व 4/21 सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

बरामदगी
- 615 ग्राम फ्लेवर युक्त तंबाकू

- 06 अदद हुक्का, 05 अदद पाइप, 06 अदद चिलम
- 03 पैकेट कोयला

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 विद्याकान्त सिंह
2. का0 सागर सिंह
3. हे0का0 रजनीश सिंह
4. का0 अंकुर सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना- जीयनपुर, जनपद- आजमगढ़

• धोखाधड़ी कर मंगलसूत्र का लॉकेट चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
• चुनाव फार्म भरवाने के बहाने महिला को ले जाकर दिया घटना को अंजाम
• पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई कर अभियुक्त को पकड़कर बरामद किया चोरी का माल

दिनांक 28.03.2026 को थाना जीयनपुर पर वादिनी तारा देवी पत्नी नेबू लाल निवासी ग्राम दाउदपुर द्वारा लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 24.03.2026 को एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर आया और स्वयं को चुनाव फार्म भरवाने वाला बताकर 10,000 रुपये दिलाने का झांसा दिया। उक्त व्यक्ति वादिनी को अपनी बाइक से अंजान शहीद ले गया तथा वहां से बहाने से आजमगढ़ हाईवे के पास पुल के नीचे ले जाकर उनके मंगलसूत्र का लॉकेट चोरी कर लिया। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0148/2026 धारा 305/318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय कुमार सहाय द्वारा की जा रही थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के निर्देशन में उ0नि0 विनय कुमार सहाय मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त पवन कुमार पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी ग्राम कलवारी पोस्ट मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष को नहर पुलिया बहद ग्राम अल्लीपुर से समय करीब 04:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया एक अदद पीली धातु का मंगलसूत्र का लॉकेट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

पवन कुमार पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी ग्राम कलवारी पोस्ट मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी

- एक अदद पीली धातु का मंगलसूत्र का लॉकेट

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 0148/2026 धारा 318(4)/305/317(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 116/2019 धारा 411/414 भादवि थाना जीआरपी जनपद जौनपुर
2. मु0अ0सं0 114/2019 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना जीआरपी जनपद जौनपुर
3. मु0अ0सं0 113/2019 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी जनपद जौनपुर
4. मु0अ0सं0 0148/2026 धारा 318(4)/305/317(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 विनय कुमार सहाय
2. का0 अक्षय प्रसाद
3. का0 अवधेश कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना- रौनापार, जनपद- आजमगढ़

• अवैध तमंचा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

• पुलिस चेकिंग के दौरान फरीदपुर मोड़ से पकड़ा गया अभियुक्त

• बरामदगी के आधार पर आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज, न्यायालय भेजा गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। दिनांक 29.03.2026 को उ0नि0 शिवम मिश्रा मय पुलिस टीम थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास की सूचना पर फरीदपुर मोड़ के पास घेराबंदी कर अभियुक्त विशाल कन्नौजिया पुत्र धर्मेन्द्र कन्नौजिया निवासी ग्राम केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को समय लगभग 12:05 बजे भोर में गिरफ्तार किया गया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 72/2026 धारा 9/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

विशाल कन्नौजिया पुत्र धर्मेन्द्र कन्नौजिया निवासी ग्राम केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी

- एक अदद देशी तमंचा .315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 72/2026 धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. mu0अ0सं0 03/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 शिवम मिश्रा उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय का0 अखिलेश पाण्डेय का0 अमरनाथ शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़

• नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार
• सामान लाने के बहाने ले जाकर सुनसान स्थान पर दिया घटना को अंजाम
• पुलिस की तत्परता से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

दिनांक 27.03.2026 को वादी द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 24.03.2026 को समय लगभग डेढ़ बजे दिन में वादी के 14 वर्षीय पुत्र को विपक्षी उमर पुत्र अयाज एवं फैसल पुत्र अब्दुर्रहमान द्वारा दुकान से सामान लाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव के बाहर रसूलपुर के पास एक सुनसान ट्यूबवेल पर ले जाया गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म (अप्राकृतिक संबंध) किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। भयवश पीड़ित ने तत्काल किसी को जानकारी नहीं दी, परंतु पुनः धमकी मिलने पर उसने वादी को घटना की जानकारी दी।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 140(4)/351(3) बीएनएस व 5G/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अजीज खान द्वारा की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.03.2026 को उ0नि0 अजीज खान मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मो0 उमर पुत्र अयाज अहमद उम्र करीब 21 वर्ष एवं फैसल पुत्र अब्दुर्रहमान उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम लोनियाडीह थाना फूलपुर को सहजेरपुर पुलिया के पास से समय करीब 12:10 बजे गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मो0 उमर पुत्र अयाज अहमद निवासी ग्राम लोनियाडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष
2. फैसल पुत्र अब्दुर्रहमान निवासी ग्राम लोनियाडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 111/2026 धारा 140(4)/351(3) बीएनएस व 5G/6 पॉक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अजीज खान
2. का0 इरफान अहमद
3. का0 राजकुमार पटेल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़